UPRP010035452026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट–अनन्य), रामपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 485/2026

पंजीयन संख्या 831/2026

अतुल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

मुकदमा अपराध संख्या–61/2026

धारा 108, 351(3)भारतीय न्याय संहिता

थाना शाहबाद, जिला रामपुर।

01–07–2026

आवेदक/**अभियुक्त अतुल कुमार** की ओर यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–61/2026 धारा 108, 351(3) भारतीय न्याय सहिता एवं धारा, थाना शाहबाद, जिला रामपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, रामपुर में निरुद्ध है।

अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के साथ पुष्पेन्द्र कुमार का शपथ पत्र इस आशय का दाखिल किया गया है कि वह उक्त प्रकरण में अभियुक्त का चाचा एवं पैरोकार मुकदमा है। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्त का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है।

वादी मुकदमा राकेश के द्वारा थाना शाहबाद, रामपुर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसकी पुत्री खुशबू उम्र 16 बर्ष, जिसको उसके गांव का अतुल कुमार पुत्र सर्वेश अक्सर उसकी पुत्री खुशबू के साथ काफी दिनों से छेड़छाड़ करता था। उसकी पुत्री ने जब उसको बताया तब उसने इसकी शिकायत लड़के चाचा गौतम सिंह पुत्र भगपत व पिता सर्वेश पुत्र भगपत से की थी और उसने उसकी शिकायत उसके परिवार वालों से की थी। उसके बाबजूद भी लड़के के चाचा व पिता ने उल्टा उसे डांटा और धमकाया। दिनांक 05.03.2026 को सुवह 9:00 बजे वह रिक्शा लेकर चला गया और उसकी पत्नी तीन दिन पहले अपने मायके गयी हुयी थी व उसके दोनो पुत्र घर पर नहीं थे। मौका पाकर उक्त अतुल कुमार पुत्र सर्वेश ने घर में घुसकर उसकी पुत्री के छेड़छाड़ की इससे तंग आकर उसकी पुत्री ने लगभग 11:00 बजे आत्महत्या कर ली। तत्काल उसने डायल 112 को सूचना दी। अतः रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही की जाये।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार रामपुर में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का इस घटना से कोई सम्बन्ध नही है। प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। घटना दिनांक 05.03.2026 को समय करीब 11:00 बजे दिन की दिखायी गयी है, जबकि रिपोर्ट दिनांक 09.03.2026 को समय करीब 01:00 बजे लिखायी गयी है। देरी का कोई कारण नही दिखाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने 9:00 बजे रिक्शा लेकर घर से जाना दिखाया, दोनो पुत्रो को घर

Digitally signed by INDRA PRAKASH
Date: 2026.07.02 16:14:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

से बाहर दिखाया गया है तथा पत्नी को मायके जाना दिखाया है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नही है, जबकि दिनांक 04.03.2026 व 05.03.2026 को होली का त्यौहार था। सभी लोग घर पर ही होते हैं, तहरीर में जानबूझकर सभी घर वालों को बाहर दिखाया गया है, घटना अपने में ही संदिग्ध है। खुशबू आर०पी० सिंह इण्टर कॉलेज जाहिद पुर जिला रामपुर में पढ़ती थी, उसकी जन्मतिथि 01.01.2008 है, जो घटना के समय 18 वर्ष से ज्यादा बनती है, फिर भी नाबालिग दिखाने की कोशिश की। पूर्णतया बालिग थी, लेकिन वादी ने उसकी जन्म तिथि 16 वर्ष विवेचना में मार्कशीट के द्वारा उसकी उम्र 01.01.2008 निकली तथ्यों को वादी द्वारा छिपाया गया है। वादी द्वारा हर जगह 16 वर्ष उम्र झूठी बताता रहा। सही तत्यों को छिपाया गया। प्रार्थी/अभियुक्त छात्र है, कक्षा 10 में भी प्रथम था, इसी वर्ष कक्षा 12 उत्तीर्ण की है, जिसमें प्रथम डिवीजन है तथा प्रार्थी/अभियुक्त को खेल कूद प्रतियोगिता प्रथम स्थान व मेडल राजकीय इण्टर कॉलेज शाहबाद जिला रामपुर से मिला है। माननीय विधायक स्पधा विधान सभा क्षेत्र मिलक ग्रामीण खेल लीग 2025–26 में प्रथम स्थान मिला है तथा प्रतियोगिता में कई मेडल मिले हैं, प्रार्थी/अभियुक्त के आर्मी के पेपर भी हैं, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त के पिता रिक्शा चलाता है, जो कि गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसा दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपने दोनो पुत्रों को घर से बाहर होना दिखाया है, लेकिन विवेचक ने हिमांशु जो वादी का पुत्र है, उसे घटना में अतुल को देखना दिखाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट और विवेचक दोनो में भिन्नता हैं, क्योंकि हिमांशु जब घर पर था ही नही तो उसने कैसे देख लिया। घटना पूर्णतया संदिग्ध है। वादी के बयान विवेचक द्वारा लिये गये, उसमें भी दोनो पुत्रों को घर से बाहर जाना दिखाया है। विवेचक द्वारा विवेचना में खुशबू व अतुल कुमार को जाहिदपुर स्कूल में पढना दिखाया है। अगर प्रार्थी/अभियुक्त ने छेड़खानी की होती तो उसकी कभी भी थाने पर 112 नंबर पर कभी कोई शिकायत नही की गयी है न ही स्कूल के प्रिंसीपल से की गयी है, जबकि मीडिया अखबार में घर वालों द्वारा खुशबू डांट मारपीट से आहत होकर आत्महत्या करने की सूचना प्रकाशित हुई है, जिसकी कॉपी संलग्न है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा घर पर जाकर छेड़खानी की बात बिल्कुल झूंठी बनायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नही है न ही कोई मुकदमा विचाराधीन नही है न ही सजायाफ्ता है। प्रार्थी/अभियुक्त छात्र है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकृत कर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) के द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की गयी है तथा उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी गयी एवं वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया गया है, जिस कारण वादी मुकदमा की पुत्री द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गयी है। अभियुक्त के विरुद्ध अंकित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियोजन प्रपत्रों से विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा मृतका से स्कूल जाते समय छेड़छाड़ करने, मृतका के घर में घुसकर मृतका से छेड़छाड़ करने तथा मृतका के भाई को जान से मारने की धमकी देने, जिससे परेशान होकर मृतका द्वारा आत्महत्या की गयी, का अभियोग लगाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध वादी मुकदमा की पुत्री की पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट में वादी मुकदमा की पुत्री कु० खुशबू(मृतक) की आयु 16 वर्ष उल्लिखित है तथा मृत्यु का कारण फांसी लगाने के कारण दम घुटना उल्लिखित है।

अभियुक्त द्वारा मृतका से स्कूल जाते समय व घर में छेड़छाड़ की गयी तथा मृतका के भाई को जान से मारने की धमकी दी गयी, जिससे परेशान होकर मृतका द्वारा आत्महत्या की गयी है। अभियुक्त के विरूद्ध अंकित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः मामले के समस्त तथ्यो,परिस्थितियो एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक–अभियुक्त अतुल कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–61/2026 धारा 108,351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना शाहबाद जिला रामपुर **के मामले में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त** किया जाता है।

(इन्द्र प्रकाश)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट),
रामपुर।
J.0.I.D.U.P.6366
01.07.2026